



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.बी.-अ.-09072026-274315
CG-WB-E-09072026-274315

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3559]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2026/आषाढ 18, 1948

No. 3559]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2026/ASHADHA 18, 1948

रेल मंत्रालय

(पूर्व रेलवे)

अधिसूचना

कोलकाता, 7 जुलाई, 2026

का.आ. 3721(अ).— केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989, [(रेलवे (संशोधित) अधिनियम, 2008 के अनुसार संशोधित)] (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्द्धमान जिला में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, "हावड़ा मंडल में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रूट, हावड़ा- बर्द्धमान कॉर्ड लाइन के डानकूनि-खाना अनुभाग में ऊपरी/निचले सड़क पुल का निर्माण करके 40 रेलवे फाटकों का उन्मूलन" के निष्पादन, रख-रखाव और प्रचालन के लिए आवश्यक है, ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अधिग्रहण), पूर्व बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि अधिवक्ता के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा

और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुमति प्रदान करेगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व बर्द्धमान जिला में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना अर्थात् "हावड़ा मंडल में डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर रूट, हावड़ा- बर्द्धमान कॉर्ड लाइन के डानकुनि-खाना अनुभाग में ऊपरी/निचले सड़क पुल का निर्माण करके 40 रेलवे फाटकों का उन्मूलन" के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम- पूर्व बर्द्धमान

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक/ पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
रेलवे फाटक सं० -56E/B और 57C/E IR किमी 66/17-19 पर जौग्राम से मसाग्राम स्टेशन के बीच।						
1	जामालपुर	दत्तपुर-23 (आर. एस.)	618	0.035	0.0142	अंश
			619	0.115	0.0465	अंश
			620	0.060	0.0243	अंश
			621	0.010	0.0040	अंश
			622	0.155	0.0627	अंश
			624	0.095	0.0384	अंश
			630	0.025	0.0101	अंश
			631	0.085	0.0344	अंश
			632	0.030	0.0121	अंश
			634	0.020	0.0081	अंश
			635	0.005	0.0020	अंश
			659	0.060	0.0243	अंश
			660	0.095	0.0384	अंश
			661	0.065	0.0263	अंश
			662	0.130	0.0526	अंश
			676	0.140	0.0567	अंश
			677	0.110	0.0445	अंश
			678	0.045	0.0182	अंश
			679	0.055	0.0223	अंश
			680	0.050	0.0202	अंश
			681	0.010	0.0040	अंश
			701	0.060	0.0243	अंश
			1279	0.050	0.0202	अंश
			1281	0.025	0.0101	अंश
			1282	0.135	0.0546	अंश
			1286	0.130	0.0526	अंश
			1287	0.040	0.0162	अंश

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
			1288	0.055	0.0223	अंश
			1290	0.045	0.0182	अंश
			1292	0.035	0.0142	अंश
			1293	0.025	0.0101	अंश
			1294	0.025	0.0101	अंश
			1295	0.030	0.0121	अंश
			1296	0.020	0.0081	अंश
			1299	0.035	0.0142	अंश
			1300	0.060	0.0243	अंश
			1301	0.120	0.0486	अंश
			659 / 1924	0.010	0.0040	अंश

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
रेलवे फाटक सं० -56E/B और 57C/E IR किमी 66/17-19 पर जौग्राम से मसाग्राम स्टेशन के बीच।						
2	जामालपुर	नवग्राम-16 (आर. एस.)	3612	0.0250	0.0101	अंश
			3613	0.0600	0.0243	अंश
			3617	0.0175	0.0071	अंश
			3618	0.0025	0.0010	अंश

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
रेलवे फाटक सं० -56E/B और 57C/E IR किमी 66/17-19 पर जौग्राम से मसाग्राम स्टेशन के बीच।						
3	जामालपुर	नवग्राम-16 (आर. एस.)	1191	0.005	0.0020	अंश
			1192	0.020	0.0081	अंश
			1251	0.270	0.1093	अंश
			1252	0.055	0.0223	अंश
			1253	0.050	0.0202	अंश
			1255	0.095	0.0384	अंश
			1257	0.055	0.0223	अंश
			1258	0.070	0.0283	अंश
			1262	0.075	0.0304	अंश
			1263	0.005	0.0020	अंश
			1264	0.185	0.0749	अंश
			1265	0.005	0.0020	अंश
			1266	0.115	0.0465	अंश

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
			1486	0.015	0.0061	अंश
			1488	0.280	0.1133	अंश
			1489	0.100	0.0405	अंश
			1490	0.005	0.0020	अंश
			1491	0.005	0.0020	अंश
			1493	0.035	0.0142	अंश
			1596	0.030	0.0121	अंश
			1597	0.120	0.0486	अंश
			1598	0.150	0.0607	अंश
			1599	0.175	0.0708	अंश
			1600	0.190	0.0769	अंश
			1604	0.005	0.0020	अंश
			1605	0.130	0.0526	अंश
			1606	0.080	0.0324	अंश
			1607	0.055	0.0223	अंश
			1612	0.075	0.0304	अंश
			1613	0.035	0.0142	अंश
			1614	0.155	0.0627	अंश
			1615	0.020	0.0081	अंश
			1616	0.030	0.0121	अंश
			1617	0.055	0.0223	अंश
			1618	0.035	0.0142	अंश
			1619	0.025	0.0101	अंश
			1494 / 1800	0.005	0.0020	अंश
			1192 / 1816	0.035	0.0142	अंश
			1251 / 1793	0.030	0.0121	अंश

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
रेलवे फाटक सं० -62C/E और 63C/E IR KM 73/03-07 मसाग्राम से चौंचाई स्टेशन के बीच।						
4	जामालपुर	साँचरा-19 (आर. एस.)	2001 / 3110	0.005	0.0020	अंश
			2001 / 3111	0.305	0.1234	पूर्ण
			2001 / 3143	0.370	0.1497	अंश
			2001 / 3145	0.010	0.0040	अंश

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
रेलवे फाटक सं० -62C/E और 63C/E IR KM 73/03-07 मसाग्राम से चौंचाई स्टेशन के बीच।						
5	मेमारी-।	चौंचाई-46 (आर. एस.)	6117	0.015	0.0061	अंश
			6207	0.130	0.0526	अंश
			6209	0.005	0.0020	अंश
			6210	0.030	0.0121	अंश
			6211	0.390	0.1578	अंश
			6212	0.410	0.1659	अंश
			6216	0.005	0.0020	अंश
			6218	0.210	0.0850	अंश
			6219	0.375	0.1518	अंश
			6220	0.460	0.1862	अंश
			6237	0.085	0.0344	अंश
			6238	0.105	0.0425	अंश
			6240	0.065	0.0263	अंश

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
रेलवे फाटक सं० -62C/E और 63C/E IR KM 73/03-07 मसाग्राम से चौंचाई स्टेशन के बीच।						
6	मेमारी-।	देउले-137 (आर. एस.)	1913	0.400	0.1619	अंश
			1914	0.060	0.0243	अंश
			1915	0.010	0.0040	अंश
			1918	0.160	0.0648	अंश
			1919	0.050	0.0202	अंश
			1920	0.010	0.0040	अंश
			1921	0.035	0.0142	अंश
			1924	0.125	0.0506	अंश
			1925	0.025	0.0101	अंश
			1926	0.015	0.0061	अंश
			1927	0.005	0.0020	अंश
			1929	0.020	0.0081	अंश
			1949	0.090	0.0364	अंश
			1950	0.060	0.0243	अंश
			1951	0.065	0.0263	अंश
			1954	0.015	0.0061	अंश
			1955	0.010	0.0040	अंश
			1956	0.015	0.0061	अंश
			1957	0.015	0.0061	अंश
			1958	0.015	0.0061	अंश
1959	0.020	0.0081	अंश			
1974	0.010	0.0040	अंश			

क्र. सं.	थाना का नाम	मौजा का नाम जे. एल. संख्या के साथ	प्लॉट संख्या	अधिग्रहण का क्षेत्रफल		आंशिक / पूर्ण
				एकड़	हेक्टेयर	
			1975	0.015	0.0061	अंश
			2006	0.055	0.0223	अंश
			2013	0.075	0.0304	अंश
			2014	0.180	0.0728	अंश
			2015	0.120	0.0486	अंश
			2016	0.125	0.0506	अंश
			2017	0.130	0.0526	अंश
			2074	0.020	0.0081	अंश
			2184	0.300	0.1214	अंश

[फा. सं. W(3)420/1/DFC/ VOL-III]

विक्रम गुप्ता, प्रधान मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS

(Eastern Railway)

NOTIFICATION

Kolkata, the 7th July, 2026

S.O. 3721(E).— In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989, (as amended vide the Railways (Amendment) Act, 2008) (herein after referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for the purpose execution, maintenance and operation of the Special Railway Project namely, “Howrah Division - 40 Nos Elimination of Level Crossing of DFC route by ROB/RUBs on Indian Railway - DKAE-KAN HBC Chord line” in the Purba Bardhaman District in the State of West Bengal, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate (Land Acquisition), Purba Bardhaman, West Bengal in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub- section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the proposed Special Railway Project namely, "Howrah Division - 40 Nos Elimination of Level Crossing of DFC route by ROB/RUBs on Indian Railway - DKAE-KAN HBC Chord line" in the Purba Bardhaman District in the State of West Bengal.

Name of District- Purba Bardhaman

Sl. No.	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No.	Acquisition Area		Part/ Full
				Acre	Hectare	
LC GATE NO-56E/B & 57C/E AT IR KM 66/17-19 BETWEEN JAUGRAM & MASAGRAM STN.						
1	Jamalpur	Dattapur-23 (R.S.)	618	0.035	0.0142	Part
			619	0.115	0.0465	Part
			620	0.060	0.0243	Part
			621	0.010	0.0040	Part
			622	0.155	0.0627	Part
			624	0.095	0.0384	Part
			630	0.025	0.0101	Part
			631	0.085	0.0344	Part
			632	0.030	0.0121	Part
			634	0.020	0.0081	Part
			635	0.005	0.0020	Part
			659	0.060	0.0243	Part
			660	0.095	0.0384	Part
			661	0.065	0.0263	Part
			662	0.130	0.0526	Part
			676	0.140	0.0567	Part
			677	0.110	0.0445	Part
			678	0.045	0.0182	Part
			679	0.055	0.0223	Part
			680	0.050	0.0202	Part
			681	0.010	0.0040	Part
			701	0.060	0.0243	Part
			1279	0.050	0.0202	Part
			1281	0.025	0.0101	Part
			1282	0.135	0.0546	Part
			1286	0.130	0.0526	Part
			1287	0.040	0.0162	Part
			1288	0.055	0.0223	Part
			1290	0.045	0.0182	Part
			1292	0.035	0.0142	Part
			1293	0.025	0.0101	Part
			1294	0.025	0.0101	Part
1295	0.030	0.0121	Part			
1296	0.020	0.0081	Part			
1299	0.035	0.0142	Part			
1300	0.060	0.0243	Part			
1301	0.120	0.0486	Part			
659/ 1924	0.010	0.0040	Part			

Sl. No.	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No.	Acquisition Area		Part/ Full
				Acre	Hectare	
LC GATE NO-56E/B & 57C/E AT IR KM 66/17-19 BETWEEN JAUGRAM & MASAGRAM STN.						
2	Jamalpur	Nabagram-16 (R.S.)	3612	0.0250	0.0101	Part
			3613	0.0600	0.0243	Part
			3617	0.0175	0.0071	Part
			3618	0.0025	0.0010	Part

Sl. No.	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No.	Acquisition Area		Part/ Full
				Acre	Hectare	
LC GATE NO-56E/B & 57C/E AT IR KM 66/17-19 BETWEEN JAUGRAM & MASAGRAM STN.						
3	Jamalpur	Nabagram-16 (R.S.)	1191	0.005	0.0020	Part
			1192	0.020	0.0081	Part
			1251	0.270	0.1093	Part
			1252	0.055	0.0223	Part
			1253	0.050	0.0202	Part
			1255	0.095	0.0384	Part
			1257	0.055	0.0223	Part
			1258	0.070	0.0283	Part
			1262	0.075	0.0304	Part
			1263	0.005	0.0020	Part
			1264	0.185	0.0749	Part
			1265	0.005	0.0020	Part
			1266	0.115	0.0465	Part
			1486	0.015	0.0061	Part
			1488	0.280	0.1133	Part
			1489	0.100	0.0405	Part
			1490	0.005	0.0020	Part
			1491	0.005	0.0020	Part
			1493	0.035	0.0142	Part
			1596	0.030	0.0121	Part
			1597	0.120	0.0486	Part
			1598	0.150	0.0607	Part
			1599	0.175	0.0708	Part
			1600	0.190	0.0769	Part
			1604	0.005	0.0020	Part
			1605	0.130	0.0526	Part
			1606	0.080	0.0324	Part
			1607	0.055	0.0223	Part
			1612	0.075	0.0304	Part
			1613	0.035	0.0142	Part
			1614	0.155	0.0627	Part
			1615	0.020	0.0081	Part
			1616	0.030	0.0121	Part
1617	0.055	0.0223	Part			
1618	0.035	0.0142	Part			
1619	0.025	0.0101	Part			
1494/1800	0.005	0.0020	Part			
1192/1816	0.035	0.0142	Part			
1251/1793	0.030	0.0121	Part			

Sl. No.	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No.	Acquisition Area		Part/ Full
				Acre	Hectare	
LC GATE NO-62C/E & 63C/E AT IR KM 73/03-07 BETWEEN MASAGRAM & CHANCHAI STN.						
4	Jamalpur	Sanchra-19 (R.S.)	2001/3110	0.005	0.0020	Part
			2001/3111	0.305	0.1234	Full
			2001/3143	0.370	0.1497	Part
			2001/3145	0.010	0.0040	Part

Sl. No.	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No.	Acquisition Area		Part/ Full
				Acre	Hectare	
LC GATE NO-62C/E & 63C/E AT IR KM 73/03-07 BETWEEN MASAGRAM & CHANCHAI STN.						
5	Memari-I	Chanchai-46 (R.S.)	6117	0.015	0.0061	Part
			6207	0.130	0.0526	Part
			6209	0.005	0.0020	Part
			6210	0.030	0.0121	Part
			6211	0.390	0.1578	Part
			6212	0.410	0.1659	Part
			6216	0.005	0.0020	Part
			6218	0.210	0.0850	Part
			6219	0.375	0.1518	Part
			6220	0.460	0.1862	Part
			6237	0.085	0.0344	Part
			6238	0.105	0.0425	Part
6240	0.065	0.0263	Part			

Sl. No.	Name of PS	Name of Mouza with JL No.	Plot No.	Acquisition Area		Part/ Full
				Acre	Hectare	
LC GATE NO-62C/E & 63C/E AT IR KM 73/03-07 BETWEEN MASAGRAM & CHANCHAI STN.						
6	Memari-I	Deule-137 (R.S.)	1913	0.400	0.1619	Part
			1914	0.060	0.0243	Part
			1915	0.010	0.0040	Part
			1918	0.160	0.0648	Part
			1919	0.050	0.0202	Part
			1920	0.010	0.0040	Part
			1921	0.035	0.0142	Part
			1924	0.125	0.0506	Part
			1925	0.025	0.0101	Part
			1926	0.015	0.0061	Part
			1927	0.005	0.0020	Part
			1929	0.020	0.0081	Part
			1949	0.090	0.0364	Part
			1950	0.060	0.0243	Part
			1951	0.065	0.0263	Part
			1954	0.015	0.0061	Part
			1955	0.010	0.0040	Part
			1956	0.015	0.0061	Part
			1957	0.015	0.0061	Part
			1958	0.015	0.0061	Part
			1959	0.020	0.0081	Part
			1974	0.010	0.0040	Part
			1975	0.015	0.0061	Part
			2006	0.055	0.0223	Part
2013	0.075	0.0304	Part			
2014	0.180	0.0728	Part			
2015	0.120	0.0486	Part			
2016	0.125	0.0506	Part			
2017	0.130	0.0526	Part			
2074	0.020	0.0081	Part			
2184	0.300	0.1214	Part			

[F. No. W(3)420/1/DFC/ VOL.III]

VIKRAM GUPTA, Principal Chief Engineer